




राज्यपाल सचिवालय, बिहार


राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या-11 (लो0सू0अ0)/2023-24

श्री अजय कुमार तिवारी (मुनमुन), पता-महात्मा गाँधी नगर, कटिरा तालाव, आरा, भोजपुर, बिहार
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
24.01.2023	<p>श्री अजय कुमार तिवारी (मुनमुन), पता-महात्मा गाँधी नगर, कटिरा तालाव, आरा, भोजपुर, बिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-20.01.2023 इस कार्यालय में दिनांक- 23.01.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-52F 826793 दिनांक-अस्पष्ट जो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पक्ष में देय है, संलग्न है। इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु लेखा शाखा को भेजे।</p> <p>अपीलकर्ता श्री अजय कुमार तिवारी (मुनमुन) ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-19.12.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को निबंधित डाक से दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-19.12.2022 की छाया प्रति भी संलग्न की है।</p> <p>अतः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक-19.12.2022 से संबंधित अभिलेख की माँग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक-15.02.2023 को उपस्थापित करें।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>

अपील वाद संख्या-11 / 2023-24 (87 / 2022-2023)

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
15.02.2023	<p>दिनांक-24.01.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-आर.टी.आई./वी.के.एस.यू.-31/2022-26/रा.स. (i) दिनांक-27.01.2023 के माध्यम से अपीलार्थी श्री अजय कुमार तिवारी "मुनमुन", महात्मा गॉधी नगर, कतिरा तालाब, आरा, भोजपुर-802301 को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक-19.12.2022 के आलोक में सूचना प्रेषित किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी श्री अजय कुमार तिवारी "मुनमुन" ने अधोहस्ताक्षरी के समक्षा यह अपील सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जब लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' दिनांक-19.12.2022 के आलोक में सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <div style="text-align: right;">  <p>विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p> </div>